सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

**अपील संख्या 421/16** **निर्णय दिनांकः 18–07–2019**

1. ईशवरराम पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी रामबाग तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

**–बनाम–**

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

**अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 18–12–2003**
**सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत**

**उपस्थितिः–**

1. श्री मनमोहन चौधरी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

**–निर्णय–**

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय दिनांक 18–12–2003 जिसके द्वारा अपीलांट का भूमिहीन आवंटन खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् को बतौर भूमिहीन आवंटन के तहत चक 8 एमआरएम के मुरब्बा नम्बर 31/33 के किला नम्बर 1, 10, 11, 19 ता 25 में 9 बीघा

भूमि का आवंटन किया गया था। जिसकी कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गई नाही आवंटन आदेश अपीलांट के पक्ष में जारी किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 18—12—2003 को अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट का आवंटन खारिज कर दिया गया।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर व पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—12—2003 के विरूद्व अपील दिनांक 30—05—11 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवंटन अधिकारी द्वारा चक 8 एमआरएम के मुरब्बा नम्बर 31/33 के किला नम्बर 1, 10, 11, 19 ता

25 में 9 बीघा भूमि का आवंटन अपीलांट के पक्ष में किया गया। आवंटन अधिकारी द्वारा भूमि आवंटन होने के पश्चात् नोटिस क्रमांक 1493 दिनांक 26—02—2003 जारी किया गया कि वांछित सबूत पेश करते हुए आवंटन आदेश प्राप्त करें। तत्पश्चात् पुनः एक नोटिस क्रमांक 7038 दिनांक 25—08—2003 जारी करते हुए सबूत पेश करने व आवंटन आदेश प्राप्त करने का कथन किया गया। अपीलांट उपरोक्त दोनों नोटिसों के उपरान्त भी आवंटन अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं आया।

अपीलांट का दायित्व था कि कि आवंटन प्रक्रिया में भाग लेकर आवंटन आदेश की शर्तो की पालना करता। आवंटन के एक साल बाद तक आवंटन आदेश तथा कब्जा नहीं लेने पर समुचित नोटिस देने के उपरान्त आवंटन खारिज किया गया है। तत्पश्चात् भी आगामी 7 साल तक अपीलांट/आवेदक ने अपने आवेदन के बारे में जानकारी नहीं ली। अपने आवेदन एवं अधिकारों के प्रति लम्बे समय तक तटस्थ रहने वाले व्यक्तियों के लिये लम्बे समय तक भूमि अनुपयोगी नहीं रह सकती। उक्त भूमि किसी अन्य को आवंटित हो चुकी होगी। अपीलांट द्वारा मियांद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत दरख्वाश्त में विलम्ब के कारण संतोषजनक कारण नहीं बताये है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18—12—2003 सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 18—07—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर